

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

172/2012 प्रा0 पत्र

15.06.2012

02.06.2025

उनवान

1. श्री विनोदकुमार आत्मज प्रणवीर व्यास नि0 अजमेर रोड़ मलाण, सुभाष नगर भीलवाड़ा।
2. श्री दीपककुमार आत्मज प्रणवीर व्यास नि0 अजमेर रोड़ मलाण, सुभाष नगर भीलवाड़ा।
3. श्रीमती यशोदा देवी बेवा प्रणवीर व्यास नि0 अजमेर रोड़ मलाण, सुभाष नगर भीलवाड़ा।

— वादीगण

बनाम

1. श्री बालु आत्मज श्री बीरमजी बैरवा निवासी मलाण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्री कल्याण पिता देबीलाल बैरवा निवासी मलाण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. श्री देबीलाल पिता पन्ना बैरवा निवासी मलाण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 की और से जगदीशचन्द्र दाधीच उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 04 की और से परोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0 बाबत् कब्जेयाबी जायदाद

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0 बाबत् कब्जेयाबी जायदाद का प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण के खातेदारी अधिकार, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात वाके ग्राम मलाण तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 266 रकबा 02-02 बीघा भूमि स्थित है। वादपत्र में वर्णित कृषि आराजियात वादीगण के खातेदारी अधिकार की होकर स्वामित्व की है, उक्त आराजी नम्बर 266 रकबा 2-02 बीघा भूमि के उतरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 02 से 03 कल्याण पिता देबीलाल एवं देबीलाल पिता पन्ना बैरवा ने 20 बाई 80 फीट यानि 1600 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 ने 30 बाई 60 फीट यानि 1800 वर्गफीट भू-भाग पर अतिक्रमण कर कांटा की बाड़ लगा रखी है जिसके के लिए वादीगण की और से अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी दिनांक 13/12/2011 को कराई जिससे प्रतिवादीगण के कब्जे में 3400 वर्गफीट भूमि अतिक्रमण के रूप में पाई गई।

वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादीगण के खातेदारी अधिकार की होकर स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिसके उतरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 01 ने 30 बाई 60 फीट यानि 1800 वर्गफीट व प्रतिवादी संख्या 02 से 03 ने 20 बाई 80 फीट यानि 1600 वर्गफीट भूमि पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है जिसको वादीगण द्वारा प्रकरण संख्या 323/2011 के आदेश दिनांक 11/07/2011 से पत्थरगढ़ी दिनांक 13/12/2011 को कराई गई जिसके मौका पर्चा से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। पत्थरगढ़ी होने के बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन किया कि अतिक्रमित भूमि का कब्जा सिपूद करो तो प्रतिवादीगण टालम टोल करते रहे व अन्त में हाल ही में दिनांक 05/04/2012 को बिल्कुल ही इन्कार कर दिया, अतः वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त भूमि के उतरी मेड़ पर अतिक्रमित भूमि 3400 वर्गफीट भूमि का कब्जा हटा, प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाया जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है। विवादित कृषि आराजी नम्बर 266 रकबा 2-02 बीघा भूमि के उतरी मेड़ पर प्रतिवादीगण ने 3400 वर्गफीट भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कांटे की बाड़ कर रखी है जबकि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं है चूँकि प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है इसलिए झुंटा मुकदमा दर्ज करवा कर वादीगण को नाजायज तंग व परेशान कर उक्त भूमि को हड़प कर सकते है, अतः वादीगण जरिए पुलिस इमदाद के प्रतिवादीगण को मौके से बेदखल करवा कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी


भीलवाड़ा

वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 13/12/2011 को पत्थरगढी करने पर भी कब्जा सिपूद नही करने व दिनांक 05/04/2012 को मौके पर कब्जा सिपूद करने से इन्कार होने से उत्पन्न होकर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध कब्जायाबी की डिकी इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजी नम्बर 266 रकबा 2-02 बीघा के उत्तरी मेड पर प्रतिवादी संख्या 01 का 30 बाई 60 फीट अर्थात 1800 वर्गफीट भू-भाग पर एवं 20 बाई 80 फीट अर्थात 1600 वर्गफीट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने नाजायज कब्जा कर कांटे की बाड़ कर रखी है जिसे जरिए पुलिस इमदाद के मौके से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादी आराजी नम्बर मय रकबा दस्तावेजी साक्ष्य को भौतिक रूप से मौके के अनुसार अपनी चौहदी साबित करावें। प्रतिवादीगण का कोई कब्जा आराजी सं० 266 रकबा 02-02 पर बतौर अतिक्रमण नहीं हैं। और न ही कभी रहा हैं। और प्रतिवादीगण जबावदार की उपस्थिति में तथा सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर दिये बगैर यदि कोई पत्थरगढी वादीगण ने करवायी गयी तो वह प्रतिवादीगण जबावदार के मुकाबले शुन्य व बेअसर हैं। तथा ऐसे किसी आदेश जो प्रभावित पक्षकार को सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर दिये बगैर प्राप्त कर लिया जाता वह प्राकृतिक न्यायशास्त्र के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत तथा न्यायालय को मुगालते में रख कर प्राप्त किया गया। जिससे प्रतिवादीगण पाबन्द नहीं है। आराजी सं० 266 के पास ही आराजी सं० 1286/266 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा भूमि नगर परिषद के खातेदारी अधिकार में स्थित होने से उक्त आराजी में से नगर परिषद द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनायी जा कर सर्वे किया जा कर प्रतिवादीगण को रिहायसी पट्टे जारी किये जा चुके हैं। वास्तविकता इस प्रकार हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा नगर परिषद की भूमि पर विगत 10-12 वर्ष से मकानात बना कर अपने अपने परिवारों के साथ निवास करते चले आ रहे हैं, जिस पर नगर परिषद द्वारा प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत सर्वे किया जा कर प्रतिवादीगण के साथ साथ अन्य सभी व्यक्तियों के अपने अपने कब्जे मकानात के अनुसार नियमन किया जा कर विकास शुल्क प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया अपनायी जा कर अहस्तान्तरणीय नियमन किया जा कर अधिकार पत्र जारी किये गये। यदि वादीगण के सीमा के बाबत् यदि कोई विवाद हैं तो वादीगण को नगर परिषद को पक्षकार बनाया जाना चाहिये तथा चुंकि वादीगण का कब्जा विगत 10-12 वर्ष से जब से प्रतिवादीगण मकानात बना कर निवास प्रारम्भ किया तब से नही हैं इस कारण वादीगण घोषणा का वाद प्रस्तुत करना चाहिये और वादीगण का वाद पत्र धारा 183 बैरून मियाद हैं। जैसा कि स्वयं वादीगण ने अपने वाद पत्र की कलम सं० 2 दो में वर्णित किया हैं कि उसकी आराजी के उत्तरी मेड पर कब्जा प्रतिवादीगण ने कर रखा हैं, इससे यह स्पष्ट हैं कि वादीगण की आराजी के उत्तर दिशा में नगर परिषद की भूमि हैं। और वादीगण ने कल्याण एवं देवी लाल द्वारा अतिक्रमण करना वर्णित किया लेकिन अतिक्रमण के स्वरूप वहाँ किस तरह से अतिक्रमण कर रखा एक भी शब्द नहीं कहा गया जबकि मौके पर प्रतिवादीगण के पक्के पट्टीपोश मकानात बने हुवे हैं।

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर पोषणिय नहीं हैं। क्योंकि जैसा कि इस कलम में वर्णित नपती के अनुसार उक्त भूमि भूखण्ड हो कर मौके पर निवास हेतू उपयोग उपभोग में ली जा रही हैं। तथा उक्त भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं है तथा जैसा कि सुपर निवेदन किया गया कि उक्त विवादित भूमि आराजी सं०. 266 में स्थित नहीं है प्रतिवादीगण के कब्जेशुदा उक्त भूमि यदि वादीगण के खातेदारी अधिकार की होती तो नगर परिषद द्वारा प्रतिवादीगण के नाम पर पट्टे कदापि जारी नहीं किये जाते। अलावा इसके नगर परिषद द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनायी जा कर सर्वे किया जा कर प्रतिवादीगण को रिहायसी पट्टे जारी किये जा चुके है। वास्तविकता इस प्रकार हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा नगर परिषद की भूमि पर विगत 14-15 वर्ष से मकानात बना कर अपने अपने परिवारों के साथ निवास करते चले आ रहे हैं, जिस पर नगर परिषद द्वारा प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत सर्वे किया जा कर प्रतिवादीगण के साथ साथ अन्य सभी व्यक्तियों के अपने अपने कब्जे मकानात के अनुसार नियमन किया जा कर विकास शुल्क प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया अपनायी जा कर अहस्तान्तरणीय नियमन किया जा कर अधिकार पत्र जारी किये गये।





वादीगण के अभिवचनों के आधार पर प्रस्तुत वाद राजस्व न्यायालय श्री मान के श्रवणाधिकार का नहीं है। प्रकरण सं० 323/2011 के सम्मन प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं हुवे हैं तथा उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण को सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। वादीगण ने गलत तौर पत्थरगढी करवायी है। ऐसे किसी आदेश जो प्रभावित पक्षकार को सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर दिये बगैर प्राप्त कर लिया जाता वह प्राकृतिक न्यायशास्त्र के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत तथा न्यायालय को मुगालते में रख कर प्राप्त किया गया होने से प्रतिवादीगण पाबन्द नहीं है। प्रतिवादीगण के कब्जेशुदा भूमि के नगर परिषद भीलवाडा द्वारा पट्टे जारी किये गये। अर्थात् उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं है और कृषि भूमि से रूपान्तरित हो कर रिहायसी किस्म परिवर्तित हो जाने से वादीगण का वाद न्यायालय श्री मान में पोषणीय नहीं है। दिनांक 13-12-2011 को कोई पत्थरगढी मौके पर नहीं हुई है। अलावा इसके दिनांक 13-12-2011 को फसल खड़ी होने से इस समय पत्थरगढी प्रायः रेवेन्यू ऐजेन्सी द्वारा कानूनन नहीं की जाती है। और दिनांक 5-4-2012 को या अन्य किसी दिनांक को वादीगण ने प्रतिवादीगण को कब्जा देने हेतू नहीं कहा और यह भी गलत है कि प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया हो। वादीगण ने इस कलम में कुलिया कथन गलत दर्ज किये हैं। वादीगण का वाद मियाद बाहर है।

प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि पर कोई नाजायज तौर कब्जा नहीं किया है। प्रतिवादीगण कमठाणों पर दैनिक मजदूरी करने वाले गरीब व्यक्ति हैं जो रोजाना मजदूरी करते हैं और अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और उक्त दैनिक मजदूरी में थोड़ा कुछ बचा कर नगर परिषद की भूमि पर आज से करीबन 14-15 वर्ष पूर्व मकानात का निर्माण किया और अपने परिवार के साथ निवास करते चले आ रहे हैं। जिनका राशन कार्ड बना हुआ है और मकानात में लाईट लगा रखी है जिनके लाईट के बिल जारी हो रहे हैं। इस प्रकार वादीगण का यह कथन गलत है कि प्रतिवादीगण ने जबरन अतिक्रमण कर कांटों की बाड कर रखी है। वादीगण ने अपने सम्पूर्ण वाद में प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज कब्जा करने की कोई तिथि - मिति अथवा दिनांक वर्णित नहीं की है जो कि धारा 183 रा० का० अधि० के तहत प्रस्तुत वाद में आवश्यक तत्व है। तथा कब्जे का हर्जाना भी क्लेम नहीं किया जो कि उक्त वाद में आवश्यक तत्व है। बिना हर्जाना क्लेम किये कब्जेयाबी का दावा कानूनन पोषणीय नहीं है। इस कारण वादीगण का वाद काबिल खारिज होने योग्य है।

प्रतिवादीगण के कब्जेशुदा भूमि कृषि भूमि नहीं है और रिहायसी भूमि होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद कानूनन राजस्व न्यायालय श्री मान में पोषणीय नहीं है। तथा प्रतिवादीगण के कब्जेशुदा भूमि नगर परिषद की भूमि है जो रिहायसी किस्म की भूमि है। और रिहायसी भूमि के बाबत् वाद राजस्व न्यायालय को सुनवायी का अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा उक्त भूमि नगर परिषद के गायत्री नगर में स्थित है। प्रतिवादीगण के कब्जेशुदा भूमि कृषि भूमि नहीं है और रिहायसी भूमि होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद कानूनन राजस्व न्यायालय श्री मान में पोषणीय नहीं है। तथा प्रतिवादीगण के कब्जेशुदा भूमि नगर परिषद की भूमि है जो रिहायसी किस्म की भूमि है। और रिहायसी भूमि के बाबत् वाद राजस्व न्यायालय को सुनवायी का अधिकार प्राप्त नहीं है। तथा उक्त भूमि नगर परिषद के गायत्रीनगर में स्थित है।

वादीगण ने अपने सम्पूर्ण वाद में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने की कोई तिथि-मिति एवं दिनांक दर्ज नहीं की है जिससे कि कब्जेयाबी के वाद में अवधि की गणना की जा सके। फिर भी वादीगण का वाद मियाद बाहर है मौके पर मकानात बने हुवे हैं जो कि एक दिन में निर्मित नहीं किये जा सकते हैं। अलावा इसके जो दिनांक 13-12-2011 एवं 5-4-2012 वर्णित की है वह कब्जेयाबी हेतू वाद में कब्जा करने की दिनांक नहीं कही जा सकती है। कब्जेयाबी के वाद में कब्जा करने की दिनांक से कारणवाद उत्पन्न होता है। और कब्जा करने की दिनांक कारणवाद से अन्दर अवधि 12 वर्ष में कब्जेयाबी का वाद प्रस्तुत होना चाहिये। इस प्रकार वादीगण का वाद मियाद बाहर है अलावा इसके प्रतिवादीगण मौके पर विगत 14-15 वर्ष से मकानात बना कर अपने अपने परिवारों के साथ निवास करते चले आ रहे हैं, जिस पर नगर परिषद द्वारा प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत सर्वे किया जा कर प्रतिवादीगण के साथ साथ अन्य सभी व्यक्तियों के अपने अपने कब्जे मकानात के अनुसार नियमन किया जा कर विकास शुल्क प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया अपनायी जा कर अहस्तान्तरणीय नियमन किया जा कर अधिकार पत्र जारी किये गये।

राजस्व अधिकार
भीलवाडा

वादीगण ने प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किस दिनांक को किया एवं हर्जाना का अनुतोष क्लेम नहीं करने से कब्जेयाबी का वाद कानूनन पोषणीय नहीं है। कब्जेयाबी के वाद में उक्त दोनों आवश्यक तत्व है। अतः यह वाद कारणवाद के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सि० प्र० सं० के तहत खारीज होने योग्य है। आराजी सं० 266 के पास ही आराजी सं० 1286/266 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा भूमि नगर परिषद के खातेदारी अधिकार में स्थित होने से उक्त आराजी में से नगर परिषद द्वारा विधिवत् प्रक्रिया अपनायी जा कर सर्वे किया जा कर प्रतिवादीगण को रिहायसी पट्टे जारी किये जा चुके हैं। वास्तविकता इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण द्वारा नगर परिषद की भूमि पर विगत 14-15 वर्ष से मकानात बना कर अपने अपने परिवारों के साथ निवास करते चले आ रहे हैं, जिस पर नगर परिषद द्वारा प्रशासन शहरों संग अभियान के तहत सर्वे किया जा कर प्रतिवादीगण के साथ साथ अन्य सभी व्यक्तियों के अपने अपने कब्जे मकानात के अनुसार नियमन किया जा कर विकास शुल्क प्राप्त कर विधिवत् प्रक्रिया अपनायी जा कर अहस्तान्तरणीय नियमन किया जा कर अधिकार पत्र जारी किये गये। इस प्रकार उक्त भूमि की किस्म रिहायसी भूमि हैं, और मौके पर भूखण्ड हो कर पक्का पट्टी पोश निर्माण हो कर मकानात बने हुवे और प्रतिवादीगण व अन्य पूरा सरवेला में अन्य लोग निवास कर रहे हैं। वादीगण का वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण सव्यय खारिज कराया जावें।

प्रकरण में दिनांक 10.04.20196 को निम्न तनकीयात कायम की गई—

1. आया वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि ग्राम मलाण तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित होकर आराजी नम्बर 266 रकबा 02-02 बीघा भूमि के उत्तरी मेड पर प्रतिवादी संख्या 01 का 30 बाई 60 फीट अर्थात् 1800 वर्गफीट भू-भाग पर एवं 20 बाई 80 फीट अर्थात् 1600 वर्गफीट पर अवैध रूप से अतिक्रमण प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा किये जाने से बेदखल कर वादीगण पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

— जिम्मे वादीगण

2. आया प्रतिवादी का वादी की आराजी नम्बर 266 के पास ही नगर परिषद की आराजी नम्बर 1286/266 रकबा 03-16 बीघा भूमि पर कब्जा प्रतिवादी को पट्टा जारी किये जाने तथा प्रतिवादी के मकानात बने होने से वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है?

— प्रतिवादीगण

3. दादरसी क्या होगी।

प्रकरण में साक्ष्यवादी में शपथ पत्र दीपक कुमार आत्मज प्रणवीर व्यास के दिनांक 26.02.2020 को पेश हुए जिनका मुख्य परीक्षण दिनांक 18.08.2011 को करवाया गया जो पीडब्ल्यू 01 है। दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए। ग्राम मलाण की जमाबन्दी संवत् 2067 से 70 है जो प्रदर्श-01 है, पत्थरगढी मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 02 है। वादी की साक्ष्य बंद की गई। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में नियत किया गया। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं होने पर दिनांक 08.07.2024 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

प्रकरण में तनकीवार निर्णय इस प्रकार है :-

तनकी संख्या 01 से सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है वादीगण ग्राम मलाण के आराजी नम्बर 266 रकबा 02-02 बीघा भूमि के खातेदार दर्ज है जमाबन्दी स म्वत् 2067 से 2070 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श- 01 है। आराजी नम्बर 266 की उत्तरी मेड पर कल्याण पिता देवी एवं देवीलाल पिता पन्ना बैरवा ने 20 गुणा 80 फीट पर एवं बालू पिता बीरमा बैरवा ने 30 गुणा 60 फीटर भू-भाग पर अतिक्रमण कर कांटा बाड कर रखी है जिसके समर्थन में पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 13.12.2011 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 02 है। यह तनकी वादीकण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर है वादी की आराजी नम्बर 266 के पास ही नगर परिषद की आराजी नम्बर 1286/266 रकबा 03-16 बीघा भूमि पर प्रतिवादी के कब्जा होने एवं पट्टा जारी यि जाने व मकानात बने होने के सम्बन्ध में प्रतिवादी ने साक्ष्य व दस्तावेजों साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है यह तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।


सहायक अधिकारी
कल्याण

दादरसी :- वादीगण ने ग्राम मलाण के आराजी नम्बर 266 रकबा 02-02 बीघा में उत्तरी मेड पर कल्याण पिता देवी एवं देवीलाल पिता पन्ना बैरवा 20गुणा80 फीट पर व बालू पिता बीरम बैरवा ने 30 गुणा 60 फीट भू-भाग पर अतिक्रमण कर कांटा बाड करने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध 183 आर0टी0ए0 का वाद प्रस्तुत किया जो वादीगणके पक्ष में स्वीकार योग्य है।

वादीगण के वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0 में तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में एवं तनकी संख्या 02 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित किये जाने से वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

—:: आदेश ::—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0 का स्वीकार कर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मलाण तहसील भीलवाडा की आराजी नम्बर 266 की उत्तरी मेड पर 20गुणा80 फीट पर कल्याण पिता देवी एवं देवीलाल पिता पन्ना बैरवा एवं 30गुणा60 फीट भाग पर बालू पिता वीरम बैरवा का अतिक्रमण कांटा बाड को हटाया जावें। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 का आराजी नम्बर 266 से अतिक्रमण कांटा बाड हटाया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अतिक्रमण हटाया जाने में पुलिस जाप्ता की आवश्यकता होने पर कार्य पालक दण्डनायक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करें। खर्चा-फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

(दि. 15/05/2018) (दि. 15/05/2018)
उपस्थित अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर

172/2012 प्रा0 पत्र

दायर दिनांक

15.06.2012

निर्णय दिनांक

०२.०६.२०२५

उनवान

1. श्री विनोदकुमार आत्मज स्व० श्री प्रणवीर जी व्यास निवासी अजमेर रोड़ मलाण, सुभाष नगर भीलवाड़ा. (राज०)
2. श्री दीपककुमार आत्मज स्व० श्री प्रणवीर जी व्यास निवासी अजमेर रोड़ मलाण, सुभाष नगर भीलवाड़ा, (राज०)
3. श्रीमती यशोदा देवी बेवा स्व० श्री प्रणवीर जी व्यास निवासी अजमेर रोड़ मलाण, सुभाष नगर भीलवाड़ा, (राज०)

— वादीगण

बनाम

1. श्री बालु आत्मज श्री बीरमजी बैरवा निवासी मलाण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्री कल्याण पिता देबीलाल बैरवा निवासी मलाण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. श्री देबीलाल पिता पन्ना बैरवा निवासी मलाण तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 की ओर से जगदीशचन्द्र दाधीच उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से परोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0 बाबत कब्जेयाबी जायदाद

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन उपस्थित एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 की ओर से श्री जगदीशचन्द्र दाधीच उपस्थित। प्रकरण में - इस वाद में तारीख ०२.०६.२०२५ को पीठासीन अधिकारी दिव्यराज सिंह चुण्डावत, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0 का स्वीकार कर डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मलाण तहसील भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 266 की उत्तरी मेड पर 20गुणा80 फीट पर कल्याण पिता देवी एवं देवीलाल पिता पन्ना बैरवा एवं 30गुणा60 फीट भाग पर बालू पिता वीरम बैरवा का अतिक्रमण कांटा बाड को हटाया जावें। तहसीलदार भीलवाड़ा प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 का आराजी नम्बर 266 से अतिक्रमण कांटा बाड हटाया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अतिक्रमण हटाया जाने में पुलिस जाप्ता की आवश्यकता होने पर कार्य पालक दण्डनायक मजिस्ट्रेट की शक्तिया का प्रयोग करें। खर्चा-फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा